न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 22/2025

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. हीराराम पुत्र अगराराम 2. दीपाराम पुत्र अगराराम जातियान कुम्हार निवासी सजाड़ा, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. नरसाराम पुत्र अगराराम जाति कुम्हार निवासी सजाड़ा, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :—

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार उपस्थित।
3. शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक— 16.10.2025

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, मौजा ग्राम सजाड़ा पटवार मण्डल चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में प्रार्थी सं. 1 का खेत खसरा संख्या 359/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 खसरा संख्या 359/2 रकबा 2.5801 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 359 रकबा 3.5353 हैक्टेयर आया हुआ है जो मूल खसरा संख्या 359 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। कि मूल खसरा संख्या 359 के विभाजन से नवसृजित उपरोक्त खसरा संख्या 359/1, 359/2 व 359 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूलवश कब्जा काश्त से विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त जिसमें पक्षकारान की रहवासी ढाणीयां टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है तथा कब्जा काश्तनुसार तरमीम नहीं होने से खातेदारान/पक्षकारान के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:49:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी कि मौजा ग्राम सजाड़ा पटवार मण्डल चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में प्रार्थी सं. 1 की खेत खसरा संख्या 359/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर ,प्रार्थी संख्या 2 खसरा संख्या 359/2 रकबा 2.5888 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 359 रकबा 3.5353 हैक्टेयर आया हुआ है जो मूल खसरा संख्या 359 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। कि मूल खसरा संख्या 359 के विभाजन से नवसृजित उपरोक्त खसरा संख्या 359/1, 359/2 व 359 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूलवश कब्जा काश्त से विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त जिसमें पक्षकारान की रहवासी ढाणीयां टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 17.06.2025 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया मौजा सजाड़ा पटवार मण्डल चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में प्रार्थी सं. 1 का खेत खसरा संख्या 359/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर , प्रार्थी संख्या का 2 खसरा संख्या 359/2 रकबा 2.5888 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 359 रकबा 3.5353 हैक्टेयर आया हुआ है जो मूल खसरा संख्या 359 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। कि मूल खसरा संख्या 359 के विभाजन से नवसृजित उपरोक्त खसरा संख्या 359/1, 359/2 व 359 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूलवश कब्जा काश्त से विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जो कि गलत है एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है इसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 17.09.2025 से होता है इस [illegible] के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में

उपखण्ड अधिकारी
SDO सिणधरी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13.49.28 IST
Reason: SelfAttested

...न नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के खातेदारी खेत राजस्व ग्राम सजाड़ा पटवार मण्डल चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 359, 359/1, 359/2 रकबा क्रमशः 3.5353, 2.5888, 2.5888 हैक्टेयर भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 2011 दिनांक 17.09.2025 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 16.10.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:49:28 IST
Reason: SelfAttested